संख्या- 70 /2022 / 194 /चार-2022

प्रेषक,

विनय श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 23 मार्च, 2022

विषय:- जनपद आगरा के तहसील बाह के ग्राम बटेश्वर में भारत रत्न अटल बिहारी बाजपेयी सांस्कृतिक संकुल केन्द्र के निर्माण हेतु प्रशासनिक / वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 3617/सं0नि0-6(134)/2018-19 दिनांक 04 जनवरी, 2022 के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या- 102/2020/535/चार-2020 दिनांक 20 मार्च, 2020 द्वारा जनपद आगरा के तहसील बाह के ग्राम बटेश्वर में भारत रत्न अटल बिहारी बाजपेयी सांस्कृतिक संकुल केन्द्र के निर्माण हेतु रू0 1336.61 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यदायी संस्था- यू0पी0 कंस्ट्रक्शन एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित प्रस्ताव के क्रम में जनपद आगरा के तहसील बाह के ग्राम बटेश्वर में भारत रत्न अटल बिहारी बाजपेयी सांस्कृतिक संकुल केन्द्र के निर्माण हेतु रू0 1223.36 लाख (रूपये बारह करोड़ तेइस लाख छत्तीस हजार मात्र) की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू0 306.00 लाख (रूपये तीन करोड़ छः लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. शासनादेश संख्या- 102/2020/535/चार-2020 दिनांक 20 मार्च, 2020 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।
2. कार्यदायी संस्था द्वारा समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही नियमानुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
3. प्रायोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। संस्कृति निदेशालय द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।
4. पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में कराये गये कार्यों की लागत को प्रभाग द्वारा प्रायोजना की आंकलित लागत में यथावत सम्मिलित करते हुए लागत को आंकलित किया गया है, जिसका समस्त उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अविधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।
6. प्रायोजनान्तर्गत वाह्य विद्युत संयोजन हेतु रू० 15.00 लाख की धनराशि का प्रावधान प्रस्तावित किया गया हैं तथा इसका विस्तृत लागत विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। प्रभाग का मत है कि उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० से विस्तृत लागत विवरण निर्माण से पूर्व प्राप्त कर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्माण कार्य किया जाय।
7. प्रायोजना में प्रस्तावित सी०सी०टी०वी० सिस्टम हेतु रू० 6.71 लाख, फर्नीचर हेतु रू० 42.28 लाख तथा पुस्तकालय हेतु पुस्तकों हेतु रू० 8.00 लाख की लागत को अनुमन्य नहीं किया गया है। इसकी आवश्यकता, औचित्य, स्पेसीफिकिशन एवं लागत के सम्बन्ध में प्राविधान हेतु वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. प्रायोजना प्रस्ताव में सबस्टेशन उपकरण, डी०जी०सेट, फायर फाइटिंग सिस्टम, वाटर ए०टी०एम० व डस्टबिन व स्टूच्यू एफ०आर०पी० डोम तथा साइनेज आदि की लागत कोटेशन / बाजार दरों के आधार पर प्रस्तावित की गयी हैं। इसे इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त की जायें। संस्कृति निदेशालय द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित कराया जाय।
9. प्रायोजना में रू0 7.91 लाख की मिट्टी भराई का प्रावधान किया गया है। वित्त विभाग शासनादेश सं०-10 / 2021 / बी 2 96 दस 20211077 दिनांक 22 मार्च, -2021 के प्रस्तर-2 में यह निर्देश दिया गया है कि मिट्टी भराई हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा पूर्व में दी गयी व्यवस्था के अतिरिक्त निर्माण स्थल के कन्टूर प्लान के साथ-साथ थी डाइमेन्शनल मेजरमेन्ट सहित ड्रोन इमेज अवश्य संलग्न की जाय। प्रायोजना प्रस्ताव में थी डाइमेन्शनल मेजरमेन्ट सहित ड्रोन इमेज एवं जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति की संस्तुति उपलब्ध न होने के कारण मिट्टी भराई हेतु प्रस्तावित रू० 7.91 लाख के सापेक्ष प्रभाग द्वारा मात्र रू० 5.00 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है, अवशेष धनराशि जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति की रिपोर्ट तथा थ्री डाइमेन्शनल मेजरमेन्ट सहित ड्रोन इमेज प्रस्तुत करने के पश्चात देय होगी।
10. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था / संस्कृति निदेशालय का होगा।
11. प्रायोजना की लागत का अनुमोदन प्रशासकीय / वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।
12. प्रायोजनान्तर्गत सम्पादित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व संस्कृति निदेशालय द्वारा सुनिश्चित् किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
13. प्रायोजना प्रस्ताव/ आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बढ़ाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियां प्रयोग करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

14. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22-03-2021 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26-08-2021 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
15. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
16. कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।
17. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
18. उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

3. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय -04- कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-45-मा0 अटल बिहारी बाजपेयी की स्मृति में सांस्कृतिक समारोह के आयोजन हेतु स्मृति संकुल -24- वृहद निर्माण कार्य मद से वहन किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृति प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है।

भवदीय,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव

संख्या - 70 /2022 / 194 (1) /चार-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- प्रबंध निदेशक, यू0 पी0 कंस्ट्रक्शन एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लि0, (यूपीसिडको) लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ नियोजन अनुभाग-4, उ0 प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।